

अज अदालत —अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01—मुकाम अजमेर

उनवान:- गुजराती महामण्डल बनाम विट्ठल भाई
दीवानी विविध संख्या 52 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक:-07.07.2026 वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। दिनांक 29.06.2026 को प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र बाबत वास्ते आर्बिट्रेशन कार्यावाही को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया था। जो आज तारीख पेशी पर समय से पत्रावली पर सलंग्न किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी श्री विभोर गोड़ के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया गया कि इस न्यायालय के आदेश के अग्रसर धारा 11 मध्यस्था एवं सुलह अधिनियम के तहत दिनांक 02.07.2026 को कार्यवाही राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने से पूर्व 30 दिवस का आज्ञापक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति पत्रावली पर पेश की गई है अतः अंतरिम आदेश दिनांक 09.06.2026 आगामी तारीख पेशी पर विस्तारीत किया जावे। अप्रार्थी के द्वारा एक अन्य प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य मध्यस्था कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है अतः अंतरिम आदेश इन्फेक्चुअस हो चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र खारीज किया जावे। मेरे द्वारा अधिवक्तागण को सुना गया प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा धारा 11 मध्यस्था व सुलह अधिनियम के प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किया जाना बताया है अतः गत आदेश दिनांक 09.06.2026 आगामी तारीख पेशी पर निस्तारीत कर प्रार्थी को निदेशित किया जाता है कि उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष की गई कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष पेश करे। पत्रावली वास्ते देखने पालना रिपोर्ट दिनांक 06.08.2026 पेश हो।	

